

सीमित निविदा (2020-2021)

निम्नलिखित कार्य संविदा पर एक वर्ष के लिए करने हेतु अधिकृत ऐजेंसी/गेर सरकारी संगठन जो कि इस प्रकार के कार्य कराने हेतु अधिकृत/पंजिकृत है से मुहरबंद सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 18-01-2021 को 11-00 (ग्यारह) बजे सुबह तक बेची जायेगी तथा दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन दोपहर 3-00 (तीन) बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष सर्व प्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी :-

क्र. सं	कार्य का विवरण	अनुमानित दर
1	तकनीकी शिक्षा मंडल का कार्यालय परिसर, ऊपर नीचे के बरामदें, विश्राम गृह, एवं शौचालयों की सफाई का कार्य संलग्न विवरण के अनुसार संविदा दर पर करना।	रु 1,80,000/- प्रति वर्ष सामग्री व सेवा शुल्क सहित

शर्त:-

1. फर्म को उपरोक्त सफाई कार्य के लिये तीन सफाई कर्मचारियों से प्रतिदिन सुबह 8.30 से दोपहर 12.30 बजे तक संलग्न सफाई व्यवस्था कार्य क्षेत्र अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा।
2. आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिन के भीतर रु 500/- (रुपये पांच सौ) मात्र के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निविदादाता को अनुबंध करना होगा।
3. संविदा अवधि में संविदा कार्य निष्पादन के दौरान कर्मचारी की दुर्घटना या मृत्यु हो जाने की दशा में समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। जिसके लिये सामूहिक बीमा निविदादाता को अपने स्तर पर कराना होगा एवं दुर्घटना की समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि नियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. ठेका कार्य नियोजित किये जाने वाले निविदादाता को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व होगा। सरकार द्वारा होने वाली न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी का वहन भी निविदादाता द्वारा किया जावेगा। किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान निविदादाता को इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता को रूपये 4000/- (रुपये चार हजार) मात्र अमानत राशि के रूप में निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराने होंगे एवं सफल निविदादाता को रूपये 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त जमा कराने होंगे। निविदा फार्म के रूपये 200/- (रुपये दो सौ) मात्र जमा कराने होंगे।
6. निविदादाता द्वारा समस्त कर आदि सम्मिलित करते हुऐं दरें निविदा के परिशिष्ट (ब) पर दी गई वित्तीय बिड सारणी में अंकित की जानी है। वित्तीय बिड में अंकित दरें सभी कर सहित होगी। निविदादाता को इन दरों के अतिरिक्त किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. निविदा के अन्य शर्तों सफाई कार्य का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
8. निविदा दो चरणों में प्राप्त की जावेगी। प्रथम तकनीकी बीड एव द्वितीय वित्तीय बीड। निविदादाता को परिशिष्ट (अ) में तकनीकी बिड पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बीड में सफल होने पर उस फर्म की वित्तीय बीड खोली जावेगी। अतः निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि तकनीकी बीड में परिशिष्ट (अ) के बिन्दू संख्या 1 से 7 की पूर्ति करें एवं वित्तीय बीड परिशिष्ट (ब) की पूर्ति कर अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें। दोनों लिफाफों के उपर तकनीकी /वित्तीय बिड पृथक पृथक लिखा जावे। तत्पश्चात तकनीकी बिड लिफाफा एवं वित्तीय बीड लिफाफा को एक अन्य बड़े लिफाफे में डालकर, इस बड़े लिफाफे को कार्यालय में जमा कराया जायेगा।
9. अपूर्ण भरे हुए टेण्डर फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमांक एफ-2(केटे)प्राशिमं/स्थापना/2021/366  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. केयर टेकर, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर को सूचनार्थ।
3. श्री पुखराज पालीवाल, प्रुफ रीडर, प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर को एस.पी.पी.पी. पोर्टल एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड :-मण्डल/निदेशालय पर चस्पा करवाने हेतु।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

दिनांक 15 JAN 2021

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

## वित्तिय बिड

1. बोलीदाता द्वारा निम्न तालिका के कॉलम संख्या 10 से 13 की पूर्ति की जायेगी :-

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगी				प्रतिदिन चार घंटे कार्य करने पर राशि प्रति माह	E.P.F दर 13% प्रति माह	E.S.I दर 3.75% प्रति माह	समग्री राशि उपकरण किराया	सर्विस चार्ज	G.S.T चार्ज	योग प्रति माह
		श्रमिकों की श्रेणी	न्यूनतम दर	श्रमिकों की संख्या	राशि प्रति माह							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	तकनीकी शिक्षा मंडल का कार्यालय परिसर, ऊपर नीचे के बरामदें, विश्राम गृह, एवं शौचालयों की सफाई का कार्य	अर्ध कुशल	237/-	3	18486	9243	1202	347				

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर

## तकनीकी बिड

1. बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण आदि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा :-

क्र.सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				लागू नहीं
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)				
5	आयकर पेन नम्बर				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2. कार्य अनुभव का विवरण (संलग्न) .....
3. संवेदक की वित्तीय स्थिति का विवरण (संलग्न) .....
4. बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम मय IFSC कोड (संलग्न) .....
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण की प्रति (संलग्न) .....
6. धरोहर राशि जमा का विवरण (संलग्न) .....
7. निविदा शुल्क जमा का विवरण (संलग्न) .....

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर

## निविदा की शर्तें

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हक होंगे।
3. संवेदक द्वारा उपलब्ध मानव संसाधन की सेवायें यदि 4 घण्टे से कम दी जाती हैं तो ऐसे दिनों के लिए मजदूरी की गणना अनुमोदित दरों की 50 प्रतिशत के अनुसार की जायेगी।
4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा एवं इसका विवरण प्रत्येक माह संवेदक द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। इसकी संतुष्टी उपरान्त आगामी माह का बिल पारित किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर श्रमिकों को संवेदक द्वारा बढी हुई दर से अन्तर राशि का भुगतान करना होगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार नियोजित श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। इसमें श्रमिक एवं संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक माह जमा अंशदान के चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें, जिससे उपापन का विवरण हेल्पलाईन नम्बर, शिकायत करने सम्बंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित होंगें।
8. समस्त करों का दायित्व संवेदक का होगा। मजदूरी पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगी। संवेदक द्वारा प्रतिमाह जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। जिसके प्रमाण रूपरूप चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत करनी होगी। इसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं एवं जारी दिशा निर्देश की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा।
10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से एवं निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिन पूर्ण करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को हटाने, नोटिस वेतन, मुआवजा आदि देने का उत्तरदायी संवेदक का होगा।
12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कारित घटना के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने/ई.एस.आई कराने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने आदि की जिम्मेवादी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेवादी नहीं होगी।
13. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने का कोई प्रकरण पाये जाने पर उपापन संस्था अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को सूचित करेगी तथा आवश्यकता होने पर संवेदक को विविर्जित (Debar) करने की कार्यवाही करेगी।

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार  
प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

मण्डल के सम्पूर्ण कार्यालय की सफाई कार्य का विवरण

क्र.सं.	सफाई का विवरण	कार्य का दिन व समय सुबह 8.30 से दोपहर 1.30 बजे तक	विशेष विवरण
1	जमीन तल की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
2	प्रथम तल की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
3	बोर्ड का विश्राम गृह की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
4	बगीचे की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू
5	सभी कक्षों की सफाई	प्रतिदिन	झाड़ू, वाईपर, फिनाईल पोचा सहित
6	खुले प्रांगण व साईकल स्टेण्ड की सफाई	प्रतिदिन सुबह 8.30 से दोपहर 9.00 बजे तक	झाड़ू, तगारी व फावडा सहित
7	मण्डल के सभी शौचालयों / TOILET की सफाई	प्रतिदिन सुबह 9.00 से दोपहर 10.00 बजे तक	सम्पूर्ण सामग्री (फीनाईल, तैजाब, साबून, सर्फ, ब्रुश, वाईपर, कपूर की गोली सहित) सामान्य शौचालय की सफाई दिन में दो बार की जावेगी 1. सुबह 9.00 से दोपहर 10.00 बजे तक 2. दोपहर 12.30 से दोपहर 1.30 बजे तक
8	सचिव महोदय कक्ष	प्रतिदिन झाड़ू, व पोचा सहित	सम्पूर्ण सामग्री (फीनाईल, तैजाब, साबून, सर्फ, ब्रुश, वाईपर, कपूर की गोली सहित)
9	रजिस्ट्रार महोदय कक्ष		
10	दरवाजे एवं खिडकियों मय कांच की सफाई व पुस्तकालय की पुस्तकें व अलमारियों की सफाई	माह में एक बार	पोचा, ब्रुश सहित
11	कुलर की सफाई	माह में एक बार	बाल्टी, मग व पोचा सहित
12	सभी कमरों, हॉल व बरामदों के जाले की सफाई	माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार	लम्बा झाड़ू, जाला हटाने वाला ब्रुश सहित
13	सभी कमरों व हॉल के छत पंखे, स्वीच बोर्ड, घडीयों, दीवार पंखे व ट्यूबलाईट, पेलमेट व रोशनदान की सफाई	माह में एक बार	आवश्यकतानुसार सामग्री सहित
14	कांफ्रेश हॉल की सफाई	माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार	मिटिंग व कार्यशालाओं के आयोजन के एक दिवस पूर्व
15	छत की सफाई	माह में एक बार	बरसात के दिनों में छत की नालियों की सफाई
16	सिवरेज लाईन चॉक होने पर दुरस्त करना	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार सामग्री सहित
17	मक्खी, मच्छर को भगाने हेतु कीटनाशक	माह में एक बार	कीटनाशक दवाई का छिडकाव व फोगिंग

संयुक्त निदेशक एवं सचिव